

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 523/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री नोका पाहन

— विक्रेता

श्रीमती ज्योति जोजो

— क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
07.07.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री नोका पाहन पिता स्व० पडरा पाहन ग्राम—कुंजला, पो०—बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने श्रीमती ज्योति जोजो पति श्री सुकवन बरला ग्राम—राजा कुंजला, पो०—बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table><tr><td>ग्राम</td><td>थाना न०</td><td>खाता न०</td><td>खेसरा सं०</td><td>रकबा (एकड़ में)</td></tr><tr><td>कुंजला</td><td>249</td><td>65</td><td>109</td><td>0.09½</td></tr></table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1491652200 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 365 दिनांक 06.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम लदूरा पाहन वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार छोटा पण्डरा पाहन वैगराह के नाम भूमि का रकबा 32.98 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 8.00 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 16414.00(सोलह हजार चार सौ चौदह)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 7.90½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री नोका पाहन पिता स्व० पडरा पाहन को श्रीमती ज्योति जोजो पति श्री सुकवन बरला के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 65 खेसरा संख्या 109 कुल रकबा 0.09½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 16414.00(सोलह हजार चार सौ चौदह)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</div> <div> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</div>	ग्राम	थाना न०	खाता न०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कुंजला	249	65	109	0.09½	
ग्राम	थाना न०	खाता न०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कुंजला	249	65	109	0.09½								